न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः – श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

अपील संख्याः 2020/06 दायर दिनांक 03.12.2020

अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
1. मुकन्दलाल पुत्र हरीबक्ष जाति ब्राहम्ण उम्र 55 वर्ष निवासी फोगड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना। 2. ग्राम पंचायत फोगड़ी।

अपील, अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट
अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत फोगड़ी द्वारा म्युटेशन संख्या 465 दिनांक 25.04.2006 बाबत् अपीलांट के पिता का रामपाल दर्ज किया गया को निरस्त कराने हेतु।

उपस्थित :–

1. श्री हरफूल राव वकील अपीलांट।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 07.03.2022

यह है कि अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की खरीद सुदा खेत खसरा सं0 116 रकबा 37 बीघा 18 बिस्वा वाकै सरहद फोगड़ी पटवार क्षैत्र चौलुखा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र नुंवा, तहसील डीडवाना जिला नागौर में आया हुआ है। दिनांक 25.04.2006 को रामूराम पुत्र सुजा जाति जाट निवासी फोगड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर से उपरोक्त खसरा सं0 116 रकबा 37 बीघा 18 बिस्वा में से जरिये विक्रय पत्र उसका सम्भावित सम्पूर्ण हिस्सा मुकन्दलाल पुत्र हरीबक्ष व गिरीराज पुत्र रामपाल उपाध्याय कौम ब्राहम्ण साकिन फोगड़ी तहसील ने खरी की। उपरोक्त खसरा सं0 का म्यूटेशन भरते समय अपीलांट के पिता का नाम रामपाल अंकित कर दिया, जो विक्रय पत्र के अनुसार नही भरा गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट निम्न आधार उक्त अपील पेश है।

अपील के आधार

1. यह है कि उक्त नामान्तरण दस्तावेजों को पूर्ण अवलोकन किये बिना भरा गया है, जिससे उक्त नामान्तरण अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि ग्राम पंचायत फोगड़ी द्वारा दिनांक 25.04.2006 पुस्तक सं0 01 जिल्द सं0 39, पृष्ठ संख्या 186 क्रम सं0 327/06 पर पंजीबद्ध होने पर मुताबिक विक्रय पत्र के विक्रेता द्वारा अपना सम्पूर्ण हित का बैचाण करने पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण दर्ज किया, जिसमें भूलवंश मुकुन्दलाल के पिता का नाम रामपाल दर्ज हो गया जो कि गलत है। उसके पश्चात ग्राम पंचायत के प्रतिपरत के अनुसार नामान्तरण संख्या 465 दिनांक 20.05.2006 को तहसीलदार डीडवाना द्वारा दर्ज किया गया।
3. यह है कि नामान्तरण 465 दिनांक 20.05.2006 में [illegible] मुकुन्दलाल के पिता का नाम गलती से रामपाल दर्ज किया ग[illegible] जबकि अपीलांट के पिता का नाम हरीबक्ष है। मुकन्दलाल व गिरीराज [illegible] है व गिरीराज के पिता को नाम रामपाल है।
4. यह है कि ग्राम पंचायत फोगड़ी की भूल व गलती से प्रस्ताव अपीलांट के पिता का नाम रामपाल दर्ज कर दिया जो कि ग[illegible] है। अपीलांट के पिता का सही नाम हरीबक्ष है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 11:58:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible]
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

5. यह है कि उक्त नामान्तरण में अपीलांट के पिता का गलत नाम दर्ज होने की जानका री 02.11.2020 नकल खतौनी व ग्राम पंचायत फोगड़ी के नामान्तरण रजिस्टर के प्रतिपरत की प्रति दिनांक 20.11.2020 को लेने पर हुई इससे पूर्व अपीलांट को उसकी कोई जानकारी नही थी। जिससे उक्त अपील अन्दर मयाद है।

अतः अपील अपीलार्थीनी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन खेत खसरा सं0 116 रकबा 37 बीघा 18 बिस्वां का नामान्तरण सं0 465 दिनांक 20.05.2020 जरिये स्वीकृत तहसीलदार डीडवाना को अपास्त कर विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया जावें।

अपीलार्थीनी की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता का नाम गलती से रामपाल दर्ज हो गया जबकी अपीलांट के पिता का नाम विक्रय पत्र में हरीबक्ष है। अतः ग्राम पंचायत फोगड़ी द्वारा म्यूटेशन संख्या 465 दिनांक 20.05.2006 उक्त म्यूटेशन को अपास्त कर रेस्पोडेन्ट के पिता नाम हरीबक्ष दुरूस्त फरमा कर म्यूटेशन विधिक रूप से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अपीलांट के पिता का नाम गलत दर्ज होना मानवीय त्रुटि/भूल है। अतः तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोनोपरान्त अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:: **आदेश** ::—

अपील अपीलान्ट स्वीकार कर सरहद मौजा फोगड़ी तहसील डीडवाना के आराजी से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 465 दिनांक 20.05.2006 में पारित ग्राम पंचायत फोगड़ी का अपीलाधीन "स्वीकृत आदेश" निरस्त किया जाकर तहसीलदार डीडवाना को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के पिता का नाम हरिबक्ष सही दर्ज कर नामान्तरकरण पुनः स्वीकृति की कार्यवाही करे।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **07.03.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 11:58:36 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner